न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री मासिंगा राम (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 07 / 2024

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. प्रकाश कुमार पुत्र तलसाराम जाति सरगरा निवासी रबारियों का बास, बैरठ तह0 जालौर जिला जालौर राज0।		1. तुलछाराम पुत्र वरदाराम जाति मेघवाल निवासी गुड़ाभदावता तह0 सोजत जिला पाली राज0। 2. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत तह0 सोजत जिला पाली राज0

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1. श्री धर्मीचन्द देवासी, श्री मुकेश भाटी अधिवक्तागण वादीगण उपस्थित।
2. श्री वीरेन्द्र सिंह सिसोदिया अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 01 उप0

–: निर्णय :– दिनांक – 20/03/2025

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा गुड़ा भदावता, प0ह0 हरियामाली, भू0अ0नि0 क्षेत्र गुड़ा कलां तहसील सोजत के खसरा नम्बर 275 रकबा 0.8600 है0 किस्म बा0दो0 की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि आई हुई स्थित है। उक्त भूमि का वादी द्वारा बाई मिट्स एण्ड बंटवाडा चाहा गया है। दिनांक 04.11.2024 को अधिवक्ता उभय पक्षों द्वारा उपस्थित होकर सहमति द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी किए जाने का निवेदन किया। जिस पर दिनांक 04.11.2024 को प्रकरण में वादी का वाद प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर वादी की भूमि का बाई मिट्स एण्ड वाउण्डस बंटवाडा किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर उक्त भूमि का विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया गया। तहसीलदार सोजत ने कमांक/रीडर/2024/204 दिनांक 17.02.2025 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश किया जो सा0मि0 है। प्राप्त विभाजन पर अनुसार वादी अधिवक्ता द्वारा निर्णय पारित कर डिक्री जारी किये जाने हेतु निवेदन किया।

अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार होने से माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 08.01.2025 अनुसार वादी का राजस्व वाद डिक्री किया जाकर विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में वंटवाडा किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

-: आदेश :-

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 08.01.2025 अनुसार डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा गुड़ा भदावता, प0ह0 हरियामाली, भू0अ0नि0 क्षेत्र गुड़ा कलां तहसील सोजत के खसरा नम्बर 275 रकबा 0.8600 है0 किस्म बा0दो0 की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि का बंटवाड़ा / विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

01 ग्राम गुड़ा भदावता में स्थित कृषि भूमि का विभाजनः–

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म
1.	प्रकाश कुमार पुत्र तलसाराम जाति सरगरा निवासी रबारियों का बास, बैरठ तहसील जालौर जिला जालौर राज0।	275	0.4300	बा0दो0
		01	0.4300	बा0दो0
2.	तुलछाराम पुत्र विरदाराम हि0 1/2 जाति मेगवाल सा0देह खातेदार	275/1	0.4300	बा0दो0
		01	0.4300	बा0दो0

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 20/03/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
बइजलाश श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

वादी

1. प्रकाश कुमार पुत्र तलसाराम जाति सरगरा निवासी रबारियों का बास, बैरठ तह0 जालौर जिला जालौर राज0।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. तुलछाराम पुत्र वरदाराम जाति मेघवाल निवासी गुड़ाभदावता तह0 सोजत जिला पाली राज0।
2. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत तह0 सोजत जिला पाली राज0

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या :– 7 / 2024

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री धर्मीचन्द देवासी व श्री मुकेश भाटी अधिवक्ता वादी तथा श्री वीरेन्द्र सिंह सिसोदिया अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 01 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि कि सरहद मौजा गुड़ा भदावता, प0ह0 हरियामाली, भू0अ0नि0 क्षेत्र गुड़ा कलां तहसील सोजत के खसरा नम्बर 275 रकबा 0.8600 है0 किस्म बा0दो0 की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि का बंटवाड़ा / विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

01 ग्राम गुड़ा भदावता में स्थित कृषि भूमि का विभाजनः–

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म
1.	प्रकाश कुमार पुत्र तलसाराम जाति सरगरा निवासी रबारियों का बास, बैरठ तहसील जालौर जिला जालौर राज0।	275	0.4300	बा0दो0
		01	0.4300	बा0दो0
2.	तुलछाराम पुत्र विरदाराम हि0 1/2 जाति मेगवाल सा0देह खातेदार	275/1	0.4300	बा0दो0
		01	0.4300	बा0दो0

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो

मीजान –   मुबलिग –   बाबत ––

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज0)

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 20/3/2025 को जारी की गई।

उप खण्ड अधिकारी • सोजत जिला-पाली (राज.)

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)